फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर

भागीलाल बनाम छीतरा

मुकदमा संख्या /वर्ष : धा 41 17/2004 /20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	26/07/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में दिनांक 14/09/2010 को प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस शेष। पत्रावली का अध्ययन कर पाया गया कि मौजूदा प्रकरण से संबंधित विवादग्रस्त भूमि बाबत माफी मन्दिर बाबत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र लम्बित होना तहसीलदार द्वारा न्यायालय को अपने पत्र से अवगत करवाया है। इसलिए न्यायहित में यह उचित प्रतीत होता है कि रेफरेन्स निर्णित होने के पश्चात हस्तगत वाद के पक्षकार इस प्रकरण में कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र हैं तब तक मौजूदा प्रकरण में कोई कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। और प्रकरण को लम्बित रखने का भी कोई औचित्य नहीं है। मौजूदा प्रकरण को फिलहाल नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर किया जाना उचित है, इससे पक्षकारान के समय श्रम और धन की भी बचत होगी रेफरेन्स के निर्णय के पश्चात इस प्रकरण के कोई भी पक्षकार हस्तगत प्रकरण को पुनः वाद नम्बर पर लेकर प्रकरण में आगामी कार्यवाही करने के लिए आवेदन [illegible] हैं। उक्त विवेचन के अनुसार [illegible] पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.09 16:03:23 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम